UPKU010043382026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०– I.D. No.UP2018**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1323/2026**

शकुन्तला देवी बउम्र 64 वर्ष पत्नी रामलाल, सा०– लक्ष्मीपुर, थाना– को० हाटा, जिला–कुशीनगर।

––– अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

–––विपक्षी।

तथा

UPKU010043392026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 1324/2026**

रामलाल बउम्र 72 वर्ष पुत्र बल्ली, सा०– लक्ष्मीपुर, थाना– को० हाटा, जिला–कुशीनगर।

––– अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

–––विपक्षी।

मु०अ०सं०– 226/2026
धारा– 85,80(2) BNS
एवं 3/4 डी.पी. ऐक्ट
थाना– को० हाटा,
जनपद–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1– वर्तमान दोनो जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण शकुन्तला देवी

व रामलाल की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। चूंकि दोनो जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या, थाना व धारा से संबंधित हैं अतः सुविधा की दृष्टि से दोनो जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 15–05–2026 को वादी मुकदमा विजय कुमार द्वारा थाना हाटा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसने अपनी पुत्री प्रमिला की शादी अभिमन्यु के साथ दिनांक 04–06–2025 को किया था तथा शादी में ही विदाई कर दिया था। अपनी हैसियत के अनुसार जो सका था लेन दिन किया था तथा लड़के वालों के राजी होने पर मंदिर में शादी किया था। विदाई के बाद उसकी लड़की को दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण सास शकुन्तला, ससुर रामलाल, पति अभिमन्यु, ननद संजू व देवर जितेन्द्र कुमार मिलकर उसे प्रताड़ित करते थे। वह महीने में एक बार खोज खबर लेन जब भी लड़की की ससुराल गया वह रोकर इन लोगों की शिकायत करती थी। दिनांक 04–05–2026 को दिन में 12 बजे के बाद फोन पर प्रताड़ित करने की बात बताई थी तथा यह भी बताया था कि उसके प्रताड़ित करने का असली कारण दहेज में मोटरसाइकिल न मिलना था तथा बहाने के तौर पर उसके चरित्र पर उसका पति व अन्य सभी लोग लांछन लगाते थे जिससे वह बहुत आहत थी क्योंकि उसके चाल चलन में कोई कमी नहीं थी तथा वह घरेलू कार्य में भी अच्छी थी। उसकी लड़की को मारपीटकर उसे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया जिससे वह बाध्य होकर दिनांक 04–05–2026 को आत्महत्या कर ली जिसकी सूचना उसके गांव के किसी ब्यक्ति ने उसके साढू किशोर को दिन में लगभग दो बजे के आस पास दिया तथा उनसे सूचना प्राप्त कर वह तथा अन्य लोग लड़की के ससुराल पहुँचे। पुलिस व मजिस्ट्रेट लोग आ गए तथा लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिए तथा हेतिमपुर में दाह संस्कार कर दिए। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण मृतका के सास व ससुर हैं। मृतका अभियुक्तगण की बहू थी। अभियुक्तगण मृतका से बहुत स्नेंह रखते थे। वास्तविकता यह है कि मृतका की शादी उसके माता पिता उसकी इच्छा के विरूद्ध अभियुक्तगण के पुत्र अभिमन्यु से कर दिए। मृतका कभी नही चाहती थी की उसकी शादी अभिमन्यु से हो। मृतका का अपने माता पिता से हमेशा अनबन रहती थी तथा मृतका हमेशा तनाव में रहती थी। दिनांक 04–05–2026 को मृतका के मायके से उसके माता पिता का फोन आया तथा उनके बीच फोन पर ही झगड़ा होने लगा तो मृतका ने कहा कि तुम लोग अब मेरा मुंह नहीं

देखोगे। अभियुक्तगण ने मृतका को काफी समझाया बुझाया तथा अभियुक्तगण अपने काम पर चले गए तो मृतका ने आत्महत्या कर लिया। अभियुक्तगण के परिवार वालों ने घटना की सूचना मृतका के मायके वालों को व पुलिस को दिया। वादी के द्वारा एक साजिश के तहत रूपया वसूलने की नीयत से 11 दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियुक्तगण दिनांक 28–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। तदनुसार जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी तथा दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानिसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा दहेज की मांग पूरी न होनें के कारण मारकर उसकी हत्या कर दिए। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

5–मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद हैं। अभियुक्ता शकुन्तला देवी मृतका की सास है तथा अभियुक्त रामलाल मृतका का ससुर है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी तथा दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानिसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा दहेज की मांग पूरी न होनें के कारण फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें आना अंकित हैंः–

1– A V–SHAPED LIGATURE MARK OF SIZE 2 ४ CM X 1 CM PRESENT OVER FRONT OF NECK JUST ABOVE THYROID CARTILAGE, RIGHT SODE OF LIGATURE MARK IS 8 CM BELOW RIGHT EAR LOBULE, LEFT SIDE OF LIGATURE MARK IS 1 CM BELOW LEFT EAR LOBULE,

2– GAP OF 2 CM (KNOT PRESENT) BETWEEN BOTH END OF LIGATURE OVER LEFT & RIGHT SIDE BACK OF NECK,

3– LACERATED WOUND 0.5 CM X 0.5 CM X MUSCLE DEEP OVER RIGHT SIDE FOREHEAD, 4.5 CM ABOVE RIGHT EYEBROW.

4– ABRASION 17 CM X 4 CM OVER BACK OF LEFT SIDE LOWER

CHEST, 12 CM BELOW LEFT SCAPULA.

तथा मृत्यु का कारण DEATH IS DUE TO ASPHYXIA AS A RESULT OF ANTEMORTEM HANGING अंकित है।

मृतका की मृत्यु शादी से सात वर्ष के अन्दर दहेज की पूर्ति ना होने के कारण सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में हुयी है। अभियुक्तगण पर अपनी बहू (मृतका) की सुरक्षा व देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी थी, किन्तु इन्ही पर दहेज की मांग पूरी न होने के कारण सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का गम्भीर आरोप है। अपराध की प्रकृति काफी गंभीर है। उक्त दिए गए कारणों के मद्देनजर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण शकुन्तला देवी व रामलाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रमाणित प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1324/2026 रामलाल बनाम उ०प्र०सरकार की पत्रावली में रखी जाय।

दिनांकः **12.06.2026**
R.P.Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.06.12 16:39:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court